अ0शा0परिपत्र संख्या : 10

सुलखान सिंह

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः मई 1, 2017

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत हों कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना पुलिस का अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व है। बहुधा वरिष्ठ नागरिक अपराधियों के निशाने पर होते हैं एवं कई बार इनके सगे-सम्बन्धी भी इनके धन/सम्पत्ति के लालच में इनके जीवन एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु **The Uttar Pradesh Maintenance And Welfare Of Parents And Senior Citizens Rules 2014** प्रचलित किया गया है। इस नियम में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन हेतु समय-समय पर पार्श्वांकित शासनादेशों/परिपत्रों द्वारा आपको विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु पुनः आप सभी को निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

मुख्य सचिव उ0प्र0 के शासनादेश सं0 : सीसी-120/6-पु0-12-2017-रिट (59)/डी/2016 दिनांक 17.03.2017
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के पत्र सं0: डीजी-सात-एस-14(7)/2017 दिनांक 09.04.17

(1). प्रदेश के प्रत्येक थाने के अधिकार क्षेत्र रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों विशेषकर ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अपने परिजनों के साथ नही रहते हैं कि अद्यावधिक सूची मोबाइल नम्बर एवं अन्य आवश्यक विवरण सहित थाना स्तर पर रखी जाये। वरिष्ठ नागरिकों की सूची तैयार करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकती है:-

A. थाना क्षेत्र के प्रत्येक बीट में कार्यरत आरक्षियों को अपने बीट में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाय। बीट आरक्षियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर थाना स्तर पर संकलित सूची एक रजिस्टर में अद्यावधिक रखी जाय।

B. जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों द्वारा समाज कल्याण विभाग से वृद्धा अवस्था पेंशन के लाभार्थियों की सूची तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से वरिष्ठ नागरिकों की सूची प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिले स्तर पर क्रियाशील विभिन्न पेंशनर्स एसोसियेशन के माध्यम से भी इस तरह के नागरिकों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्राप्त की जा सकती है। इन माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन बीट आरक्षियों से कराकर वरिष्ठ नागरिकों के नाम थाने की सूची में शामिल किये जा सकते हैं।

C. ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वेछा से अपनी सुरक्षा के लिए थाने में अपना नाम पंजीकृत कराना चाहते हों, उन्हें एक मोबाइल एप विकसित कर यह सुविधा प्रदान की जा सकती है। अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को मोबाइल एप विकसित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

(2). थाना स्तर पर एक या एक से अधिक स्वयं सेवी समितियों का गठन किया जाये, जो पुलिस, जिला प्रशासन एवं वरिष्ठ नागरिकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी। इस समिति की अध्यक्षता थाने के प्रभारी निरीक्षक/उप

निरीक्षक करेंगे। थाना क्षेत्र में रहने वाले 02 सम्भ्रान्त नागरिक, जिनकी छबि साफ-सुथरी हो,सम्बन्धित बीट के दो आरक्षी तथा वृद्ध नागरिकों की सेवा के क्षेत्र में सक्रिय किसी एन0जी0ओ0 के 02 कार्यकर्ता इसमें सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे। वृद्ध नागरिकों की सेवा के क्षेत्र में यदि कोई एन0जी0ओ0 सम्बन्धित जिले में क्रियाशील न हो, तो किसी अन्य उपयुक्त एन0जी0ओ0 के दो कार्यकर्ताओं को इसमें सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

(3). थाने का एक प्रतिनिधि (थाना प्रभारी निरीक्षक/उप निरीक्षक, हल्का उप निरीक्षक/बीट आरक्षी) स्वयं सेवी समिति के एक सदस्य के साथ नियमित अंतराल पर (माह में कम से कम एक बार) वरिष्ठ नागरिकों से अवश्य मिलेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इन वरिष्ठ नागरिकों के बुलाये जाने पर भी उनसे तत्काल सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निदान कराने की चेष्टा की जाये।

(4). सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों को थाना प्रभारी एवं थाने के प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया जाय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उनसे से सम्पर्क किया जा सके।

(5). वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोंण से कम्यूनिटी पुलिसिंग की भी व्यवस्था की जाये। इस हेतु **Residents' Welfare Association, Youth Volunteers, Non-Government Organizations** की मदद ली जाये।

(6). जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से वरिष्ठ नागरिकों के पालन किये जाने हेतु **Do's and Dont's** तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। **Do's and Dont's** में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का भी समावेश किया जाये:-

(A) घरों की सुरक्षा से सम्बन्धित उपायों यथा-घरों के दरवाजों एवं खिड़कियों को किस तरह से सुदृढ़ किया जाये, ताकि अपराधी घरों में आसानी से प्रवेश न पा सकें, की जानकारी दी जाए।

(B) सुरक्षा के आधुनिक उपकरणों यथा-सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रानिक अलार्म वेल, डोर लेंस, डोर चेन इत्यादि के उपयोग की जानकारी दी जाये।

(C) घरेलू नौकरों को बिना पुलिस सत्यापन के नियुक्त न करने की सलाह दी जाये।

(D) अन्य सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों यथा- चालक, धोबी, पेपर वाले, दूध वाले इत्यादि से सावधानी बरतने हेतु आवश्यक उपायों की जानकारी दी जाए।

(E) बैंक से पैसा निकालने या जमा करने के दौरान क्या-क्या सावधानी बरती जाये, की जानकारी दी जाये।

(F) स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिक परिस्थितियों तथा अपराधियों से जीवन भय सम्बन्धी आकस्मिक परिस्थितियों में उनके द्वारा क्या-क्या किया जाये, इसकी भी जानकारी उन्हें दी जाये।

(7). वरिष्ठ नागरिकों के घर पर कार्य करने वाले घरेलू नौकरों तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवायें देने वाले व्यक्तियों का सत्यापन वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर थाने द्वारा तत्परता से किया जाये।

(8). वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध हुये अपराधों के सम्बन्ध में समस्त महत्वपूर्ण सूचनायें थाने स्तर पर इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार एक रजिस्टर में सुरक्षित/अद्यावधिक रखी जाये। यह रजिस्टर थाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाने पर निरीक्षण के दौरान इस रजिस्टर का अवलोकन कर वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध हुये अपराधों की विवेचना/कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाये।

(9). प्रत्येक थाने द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध घटित अपराध की सूचना प्रतिमाह जनपदीय पुलिस अधीक्षक को 10 तारीख तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

(10). जनपदीय पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध घटित अपराध में पंजीकृत मुकदमों में हुई प्रगति के सम्बन्ध में प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को एक रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप-2 में प्रेषित करेंगे। इस रिपोर्ट की एक-एक प्रति परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक को भी मुकदमों के अनुश्रवण हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(11). मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक तीन माह में जनपदीय पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(12). जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए की जा रही व्यवस्था एवं किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में मीडिया एवं पुलिस थानों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर अंकुश लग सके एवं उनके जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा हो सके।

भवदीय,

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक(नाम से),
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक- यथोपरि।

प्रतिलिपिः-प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को उपरोक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रारूप-1 रजिस्टर का प्रारूप								
क्रम सं0	मु0अ0सं0 व धारा	घटनास्थल एवं दिनांक घटना	वादी का नाम व पता	प्रतिवादीगणों का नाम/पता	अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण	विवेचना का परिणाम	निरोधात्मक कार्यवाही	अन्य टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप -02																
क्रम सं0	जोन	परिक्षेत्र	जनपद	थाना	मु0अ0सं0 व धारा	अभियुक्तों का संख्यात्मक विवरण				अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण			विवेचनात्मक प्रगति			
						नामजद	प्रकाश मे आये	गलत पाये गये	शेष वास्तविक अभियुक्तों की सं0	गिरफ्तार	हा0अदा0	शेष	विवेचनाधीन	आरोप पत्र	अंतिम रिपोर्ट	खारिज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17